प्रशासनिक समिति के संयुक्त अधिनियम मसूरी
के आवंटित पत्र 136 LR Act के 122 नियम
के उपयोग करने में आवंटित व्यक्ति का नाम शुद्ध
किया जा सकता है। अतः किसी प्रकार की
विलम्ब प्रकरण वाद पत्र के नहीं चाही है। आवंटित
की ओर से वाद विक्रय का आवंटन पत्र को
स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में
वांछित रिलीफ आवंटित को दी जा सकती है।

अतः आवंटित का ~~आवंटन~~ वाद पत्र
विक्रय आवंटन पत्र पर केवल किया जाता
है। पत्रावली केवल शुमार होकर नामान्तरण
से बाद की जाकर अधिपत्र प्रेषित है।

निर्णय आज दिनांक 31-5-23 को सुने इजलास
खुलास सुना।